

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

यादविन्द सिंह बनाम करणी सिंह आदि

किरम मुकदमा 148 ए सी पी सी नम्बर 12 सन 2024

जी सी एम.एस नम्बर 2024/288

हुगम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

तामिल हुकम

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

29.08.2024

पाषी यादविन्द सिंह पुत्र सतनाम सिंह जाति जटसिख निवासी मलकानाखुर्द तहसील श्रीकरणपुर जरिए मुख्तयारेआम सतिन्द कौर बसड पत्नी सतनाम सिंह बसाड जाति जटसिख निवासी मलकानाखुर्द तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री दलजीत सिंह बसाड के द्वारा कौंसिडर प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 2 एस की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 45/41 के मुरब्बा नम्बर 31, 46/32 की 4.400 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 35/33 के मुरब्बा नम्बर 7, 21, 31, 32, 46/12 की कुल 9.675 हैक्टेयर भूमि, चक 13 एच की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 114/100 के मुरब्बा नम्बर 51 की कुल 3.101 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे।

तामिल हुकम
354
5/9/24

२९/११/२४

आज यह पत्रावली चेरी मे ली गयी प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148(क) CPC प्रस्तुत किए हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित होकर गवर्नर से कम होकर लेख भंडार हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर